राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(10)पंरावि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2024/EFile-22379 जयपुर, दिनांकः—

1. मुख्य /अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद, समस्त।
2. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त ।

विषयः—दिनांक 24.4.2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत।
संदर्भः—विभागीय राजकाज पत्रांक 14781380 दिनांक 16.4.2025 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्रांक दिनांक 03.04.2025 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) में माध्यम से अवगत कराया है कि सामाजिक सुरक्ष पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रति वर्ष दिनांक 1 नवम्बर से प्रारम्भ होती है। राज्य के कुल 91.80 लाख पेंशनर्स में से वर्ष 2025 के लिए आदिनांक तक काफी पेंशनर्स द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। अतः शत–प्रतिशत पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन दिनांक 30.4.2025 तक करवाया जाना है। उक्त दिनांक तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशनर्स के माह मई, 2025 (देय माह जून, 2025) के बाद पेंशन भुगतान रोका जा सकता है।

इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्राप्त कतिपय प्रकरणों के संबंध में पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों के स्तर से बिना पूर्ण जांच के पेंशन लाभार्थियों को मृत अथवा राज्य से अन्यत्र पलायन दिखाकर उनकी पेंशन निरस्त कर दी जाती है, ऐसे प्रकरणों की रोकथाम के लिए ऐसे प्रकरणों में निरस्तीकरण की कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देश जारी किये गये है।

अतः संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर, संलग्न पत्र में वर्णित निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार ।

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :23-04-2025 03:34:02

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर
ई–मेलः adpension.sje@rajasthan.gov.in दूरभाषः 0141–2740637

क्रमांकः–एफ 9(5)(12–II)/सासुपे/विविध/सान्याअवि./2025 जयपुर दिनांक :–

शासन सचिव,
पंचायतीराज विभाग
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषयः– ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित रूप से विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवाया जाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशन लाभार्थियों का शत प्रतिशत वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रति वर्ष 1 नवबर से प्रारम्भ होती है। राज्य के कुल 91.80 लाख पेंशनर्स में से वर्ष 2025 के लिए आदिनांक तक काफी पेंशनर्स द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। अतः शत–प्रतिशत पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन दिनांक 30.04.2025 तक करवाया जाना हैं। उक्त दिनांक तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशनर्स के माह मई, 2025 (देय माह जून, 2025) के बाद पेंशन भुगतान रोका जा सकता है।

दिनांक 28.11.2024 को मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव महोदय् के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर को सभी ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के अतिरिक्त विशेष ग्राम सभा आयोजित करवाया जानी है। इस सम्बन्ध में सभी असत्यापित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का वर्ष 2025 के लिए शत प्रतिशत वार्षिक सत्यापन करवाए जाने के लिए **अप्रैल माह में विशेष ग्राम सभा** आयोजित करवाये जाने हेतु सभी सम्बन्धितों को निर्देशित करने का श्रम करें।

विभाग द्वारा प्राप्त कतिपय प्रकरणों के सम्बन्ध में पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों के स्तर से बिना पूर्ण जांच के पेंशन लाभार्थियों को मृत अथवा राज्य से अन्यत्र पलायन दिखाकर उनकी पेंशन निरस्त कर दी जाती है, ऐसे प्रकरणों की रोकथाम के लिए ऐसे प्रकरणों में निरस्तीकरण की कार्यवाही से विशेष ग्राम सभा में अनुमोदन करवाने के पश्चात् ही निरस्तीकरण की कार्यवाही किए जाने के लिए विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये है। इस संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णयों व प्रेषित पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न कर लेख है कि इस संबंध में की गई आवश्यक कार्यवाही की सूचना भी समय–समय पर विभाग को उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

(कुलदीप रांका)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः–एफ 9(5)(12–II)/सासुपे/विविध/सान्याअवि./2025 जयपुर दिनांक :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kuldeep Ranka
Designation : Additional Chief Secretary
Date :03-04-2025 04:57:20